



हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 22.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना सिधारी: अवैध असलहा के साथ एक गोतस्कर गिरफ्तार, पूर्व में 01 अभियुक्त हो चुका है गिरफ्तार।

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक- 21/8/24 को व0उ0निरीक्षक भगत सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान सैयद बाबा के मजार के पीछे बहदग्राम चकविन्दा से एक व्यक्ति सलमान पुत्र अंसार निवासी मोहम्मदपुर छिंही थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को समय 10.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया था जिसके पास से चोरी की एक बोलेरो वाहन, 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर व प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ तथा दो व्यक्ति मौके से भाग गये। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 311/24 धारा 35(a)/317(2) BNS व 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम बनाम 1.सलमान पुत्र अंसार निवासी मोहम्मदपुर छिंही थाना बिलरियागंज आजमगढ़ 2. जावेद पुत्र मोलई सा0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ 3. सुहेल पुत्र अज्ञात सा0 जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ व मु0अ0सं0 312/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम सलमान पुत्र अंसार निवासी मोहम्मदपुर छिंही थाना बिलरियागंज आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त द्वारा कुछ दिन पूर्व ग्राम पाण्डेपुर थाना सिधारी से एक बैस व एक पड़िया चोरी करना स्वीकार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सिधारी पर पूर्व में मु0अ0सं0- 306/24 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत है। मुकदमा उक्त में अभियुक्त जावेद पुत्र मोलई निवासी छिंही मुहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ वांछित चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 21.10.2024 उ0नि0 युगराज सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जावेद पुत्र मोलई निवासी छिंही मुहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को बैठौली पुलिया से समय 23.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से 01 तमंचा .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 407/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 407/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 311/24 धारा 35(a)/317(2) BNS व 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-306/24 धारा-305 बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 273/22 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना बिलरियागंज आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 354/22 धारा 34/379/411/427 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 407/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़



02. थाना सिधारी: चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 16/10/24 को वादी मुकदमा राहुल जयसवाल पुत्र चन्द्रशेखर जायसवाल सा0 मु0 बबुआन जलान बाजार 2 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी शुभम शर्मा पुत्र यशवन्त शर्मा सा0 मोहल्ला नई बस्ती कटघर थाना सिधारी, आजमगढ़ द्वारा आवेदक के मकान / दुकान में चोरी से घुस कर गल्ले से 3,50,000/ रूपये चुरा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 0397/2024 धारा 305 बी0एन0एस0 बनाम अभियुक्त शुभम शर्मा पुत्र यशवन्त शर्मा सा0 मोहल्ला नई बस्ती कटघर थाना सिधारी, आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 विधनेश वर्मा द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 22.10.2024 उ0नि0 विधनेश वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शुभम शर्मा पुत्र राजेश शर्मा निवासी कटघर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को नरौली तिराहे से समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से अभियुक्त के पास से 792 रूपया नगद बरामद हुआ।



03.थाना- मेंहनगर: किशोरी का अगवा करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार; पूर्व में घटना में प्रयुक्त एक अर्टिगा वाहन 03

अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

अवगत कराना है कि दिनांक 12.10.2024 को वादी मुकदमा जनपद आजमगढ़ थाना मेहनगर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 11/10/24 को शाम 4 बजे वादी की पोती उम्र लगभग 14 वर्ष घर के बाहर सड़क पर टहल रही थी उसी समय विपक्षी प्रशान्त उर्फ विपुल सिंह पुत्र राजेश सिंह तथा रवि सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह ग्राम मैनीपुर थाना मेंहनगर और आशीष पुत्र चन्दु राजभर एव सूरज राजभर पुत्र गनेश राजभर ग्राम बेनुपुर थाना मेंहनगर के द्वारा वादी मुकदमा की पोती को जबरदस्ती Ertiga गाडी से जबरजस्ती बैठाकर भगा ले गये, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 420/24 धारा 137(2) BNS बनाम प्रशान्त उर्फ विपुल सिंह पुत्र राजेश सिंह तथा रवि सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह ग्राम मैनीपुर थाना मेंहनगर और आशीष पुत्र चन्दु राजभर एव सूरज राजभर पुत्र गनेश राजभर ग्राम बेनुपुर थाना मेंहनगर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

दिनांक 19.10.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.प्रशान्त उर्फ विपुल सिंह पुत्र राजेश सिंह सा0 बेनुपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ 2.सूरज राजभर पुत्र गनेश राजभर सा0 बेनुपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ 3.आशीष राजभर पुत्र चन्द्र प्रकाश राजभर सा0 बेनुपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान अभियुक्त ऋषभ सिंह उर्फ अतुल सिंह पुत्र सुर्यभान सिंह सा0 जमुहई थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर प्रकाश में आया है जो फरार चल रहा था जिसके क्रम में-

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 22.10.2024 को व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त ऋषभ सिंह उर्फ अतुल सिंह पुत्र सुर्यभान सिंह सा0 जमुहई थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर को समय 11.30 बजे गोपालपुर थाना मेंहनगर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 420/24 धारा 137(2) बीएनएस थाना मेंहनगर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास – मु0अ0सं0 420/24 धारा 137(2)/127(3)/96/61(2) बीएनएस थाना मेंहनगर आजमगढ़



04. थाना अतरौलिया: हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 18.10.2024 की रात्रि करीब 11.30 बजे आपसी बात को लेकर प्रतिवादियों द्वारा वादी पवन कुमार S/O रामनाथ सा0 खानपुर रन्ना थाना अतरौलिया के भतीजे आकाश पुत्र रामप्रताप व उसके मित्र दीपक तथा अमित को कस्बा अतरौलिया में लगे मेला से वापस घर जाते समय गाली गुप्ता देते हुए धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से आकाश आकाश पर हमला कर दिया गया, जिसे अस्पताल अतरौलिया आजमगढ़ में भर्ती कराया गया। जिसके सम्बन्ध में वादी पवन कुमार की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 19.10.2024 को मु0अ0सं0 351/24 धारा- 109/115(2)/352/351(2) बीएनएस बनाम 1. जनार्दन 2. चन्द्रभान 3. हरेन्द्र पुत्रगण मोतीलाल नि0 खानपुर रन्ना थाना अतरौलिया 4. गोलू पुत्र रामधारी नि0 सोल्हवा थाना जहाँगीरगंज जिला अम्बेडकरनगर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 22.10.24 को उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. जनार्दन राम पुत्र मोतीलाल निवासी खानपुर अन्ना थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष को समय 11.50 बजे पटेल मोड तिराहे के पास से हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।



05. थाना दीदारगंज: गोवध का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक- 23.08.2024 को उ0नि0 नागेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा मु0अ0सं0 220/24 धारा 3/5A/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता व 3/7/25 A Act थाना दीदारगंज आजमगढ़ 1. नितिश कुमार चौहान पुत्र विजय बहादुर चौहान ग्राम लोनिया पट्टी थान खुटहन जनपद जौनपुर 2. शाहिल 3. फैज उर्फ फौज पुत्रगण अज्ञात निवासीगण ग्राम माहुल थान अहरौला जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कराये थे जिसमें अभियुक्त फैज उर्फ फौज उर्फ फैजान वांछित चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 22.10.2024 को उ0नि0 करमुल्ला अली मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त फैज उर्फ फौज उर्फ फैजान पुत्र सगीर उर्फ बादशाह ग्राम सोफीगढ थाना अहरौला आजमगढ़ को मलगांव मोड बहद ग्राम मलगांव के पास से समय 9.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद		
1.	133/2020	307 भादवि 3/5/8	गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता	अहरौला	आजमगढ़	
2.	361/22	3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट	अहरौला	आजमगढ़		
3.	118/20	3/5/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता	अतरौलिया	आजमगढ़		
4.	130/24	8/20 एनडीपीएस एक्ट	अहरौला	आजमगढ़		
5.	220/24	3/5A/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता	दीदारगंज	आजमगढ़		



06. थाना सरायमीर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक- 21/22-10.2024 को उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति रोहित सरोज पुत्र सुबाष चन्द निवासी ग्राम कमालपुर, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ चक नरईपुर पुलिया से समय करीब 00.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 559/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।



07.थाना-अहरौला: पिकअप पर लदे 06 प्रतिबंधित पशुओं के साथ 08 गो-तस्कर अपराधी गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक- 22.10.2024 को थानाध्यक्ष मनीष पाल मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम पश्चिमपट्टी महलिया गहजी के पास से 08 गोतस्कर अभियुक्तों 1. सुबहान पुत्र फरीद निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष, 2. सुफियान पुत्र रेंगई निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष, 3. मुख्तार पुत्र छेदी निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 57 वर्ष, 4. इमरान उर्फ इबरान पुत्र मंजूर निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष, 5. सेराज उर्फ सिराज पुत्र आलमगीर निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष, 6. इरफान पुत्र मंजूर निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष, 7. राशिद पुत्र आलमगीर निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष, 8. मो0 वफा पुत्र इमरान निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को एक पिकअप पर लदे 06 प्रतिबंधित पशुओं के साथ समय सुबह 3.15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 453/24 धारा धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवा0 अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-1-मु0अ0सं0 453/24 धारा धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवा0 अधिनियम थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1- अभियुक्त सुबहान व सुफियान उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 – 470/21 धारा 8/20 NDPS ACT थाना पटहेरवां जनपद कुशीनगर
2. मु0अ0सं0 – 280/17 धारा 147/323/336/452/504/506 भादवि0 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

2- अभियुक्त मुख्तार उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 – 39/22 धारा 395/412 भादवि0 थाना दोस्तपुर जनपद अम्बेडकरनगर
 2. मु0अ0सं0 – 290/13 धारा 147/323/336/427/504/506 भादवि0 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
3. अभियुक्त इमरान उपरोक्त- 1. मु0अ0सं0 – 24/22 धारा 323/34/427/504/506 भादवि0 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
4. अभियुक्त सेराज उर्फ सिराज उपरोक्त व इरफान पुत्र मंजूर उपरोक्त
1. मु0अ0सं0 – 24/22 धारा 323/34/427/504/506 भादवि0 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
 2. मु0अ0सं0 – 174/13 धारा 8/20 NDPS ACT थाना सिकरारा जनपद जौनपुर
 3. मु0अ0सं0 – 171/13 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 थाना सिकरारा जनपद जौनपुर
5. राशिद पुत्र आलमगीर उपरोक्त
1. मु0अ0सं0 – 176/24 धारा 125/132/191(2)/3(5)/351(2)/352 बी.एन.एस थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
 2. मु0अ0सं0 – 180/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
6. मो0 वफा पुत्र इमरान उपरोक्त
1. मु0अ0सं0 – 806/20 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 थाना कोतवाली जनपद देवरिया
 2. मु0अ0सं0 – 887/20 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद देवरिया

बरामदगी – 6 राशि गोवंशीय पशु (दो गाय व चार गाय का बछड़ा) वए क पिकप रजि0न0 UP 45 T 0705

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष मनीष पाल, उ0नि0 विश्राम गुप्ता, मय हमराह थाना अहरौला आजमगढ़
- 2-उ0नि0 उदयशंकर तिवारी मय हमराह व उ0नि0 सुधीर कुमार सिंह चौकी माहुल थाना अहरौला आजमगढ़ ।

